राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 32/2017 (42/2013) दायर तारीख 11.09.2017 (10.08.2013)

अनवान्

1. शंकरलाल पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. छीतरलाल पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. शंकरलाल पुत्र नाथू जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... वादीगण

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर चारभुजा नाथ ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां नाबालिग मार्फत संरक्षक
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जगदीश धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 09/04/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य वादपत्र **अर्न्तगत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या एक का ग्राम लक्ष्मीनिवास में स्थापित सार्वजनिक पूजा स्थल होकर जिसमें चारभुजा ठाकुर जी कि मूर्ति स्थापित है। माफीदार ठाकुर जी चारभुजाजी से जुडी उनकी कृषि खातेदारी भूमि मौजा लक्ष्मीनिवास में स्थित है। वादीगण के पूर्वजो द्वारा प्रतिवादी सख्या एक की खातेदारी मे दर्ज भूमि गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 219 जिसका रकबा 12 बिस्वा पर काश्त की जाती थी जिसके बदले मे खातेदारी भूमि मे उपज का 1/3 हिस्सा मन्दिर में भेट स्वरूप दिया जाता था शेष 2/3 हिस्सा वादीगण के पूर्वजो के परिवार के सदस्यो द्वारा उपयोग उपभोग किया जाता था वादीगण के पूर्वजो द्वारा भूमि का रख रखाव करने के अतिरिक्त भूमि उन्नत व विकसित समय समय पर किया गया जिसमें उन्होने अपनी अंग महनत एवम आर्थिक लागत वादग्रस्त काश्त भूमि पर लगायी। गत बन्दोबस्त मे वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 219 रकबा 12 बिस्वां के नये बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 332 रकबा 18 बिस्वा दर्ज अभिलेख हो वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त मे चले आ रहे है। जिनके द्वारा न केवल रख रखाव किया जा रहा है अपितु उस पर आर्थिक लागत भी लगायी जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15 अक्टुम्बर 1955 को सम्पूर्ण राजस्थान मे लागू किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आते ही जागीरदार एवम माफीदारो की खातेदारी समाप्त की जाकर काबिज काश्तकारान को उनके कब्जे वाली भूमि की खातेदारी दे दी गयी। इसी क्रम में जिन काबीजदारो ने समय पर आवेदन कर माफीदार व जागीरदार के नाम हटवा भूमि अपने नाम पर नही करवायी उनको इस क्षेत्र में हुये बन्दोबस्त के समय रेकर्ड व कब्जे की विधि के परिपेक्ष में जांच कर भूमि की खातेदारी काबिजदारो को प्रदान कर दी गयी। इसी क्रम में आराजी खसरा नम्बर 332 रकबे 18 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के पूर्वजो को प्राप्त हो गयी तभी से भूमि उनके नाम पर दर्ज खाता अभिलेख चली आ रही थी ओर मन्दिर प्रतिवादी सख्या एक को उपज की दी जाने वाली हिस्सेदारी भी बन्द हो चुकी है। पूर्व खातेदार नन्दा पुत्र जयचन्द धाकड़ का पुत्र प्रभुलाल था जिसकी मृत्यु हो चुकी हैं उसके पुत्र वादीक्रम 1 व 2 हैं एवं वादी क्रम 3 नन्दा जी के भाई का पुत्र है जो वर्तमान में भूमि पर काबिज हैं। जो खातेदारी अधिकार जागीदारी व माफीदारी समाप्ती के पश्चात काबिज काश्तकारो को विधि के प्रभाव से दिये गये वे अधिकार किसी विधि से

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अब तक समाप्त नही किये गये है। प्रतिवादी सख्या दो ने राज्य सरकार की वर्ष 1992 में जारी दि जिसमें मूर्ति के नाम पर दर्ज रही भूमि को मूर्ति के नाम पर वापस दर्ज किये जाने के आदेश दिये उसका बिना अध्ययन किये व विज्ञप्ति का आशय समझे बिना सीधे तौर पर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो अनदेखी करते हुये तत्कालीन खातेदारो की खातेदारी को समाप्त कर प्रतिवादी सख्या एक की खातेदारी वादग्रस्त खसरा नम्बर वाली भूमि को दर्ज अभिलेख कर दिया जो मूलतः अवैध व शून्य है। वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर इसका कोई प्रभाव नही है। वादीगण अपने पूर्वजो के पश्चात आज भी वादग्रस्त रा नम्बर के खातेदार होकर जरिये काश्त के उनका कब्जा है। वर्ष 1992 में मूर्ति की खातेदारी मे दर्ज लेख रही भूमि को वापस उसी के नाम दर्ज करने की जो विज्ञप्ती जारी की गयी उसका आशय केवल सीमा तक लागू था जो ऐसे मामले थे – (अ) कि मूर्ति के साथ किसी पुजारी या सरबराकार का नाम र्ज अभिलेख है तो उसको हटाया जाकर केवल मूर्ति के नाम पर भूमि दर्ज अभिलेख की जाये। (ब) कि स्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात मूर्ति के साथ अभिलिखित खातेदार ने बिना किसी धिकार के विधि विरूद्ध अधिकारो का उपयोग करते हुये नाबालिग मूर्ति की भूमि को विक्रय कर दिया है वह अवैध रूप से दर्ज किये गये अन्तरण को शून्य माना जाकर मूर्ति की भूमि को पुनः मूर्ति के नाम पर र्ज अभिलेख की जावे। क्योकि पूजारी अथवा सरबराकार को नाबालिग मूर्ति की भूमि को विक्रय करने का ोई अधिकार नही था। पुजारी एवम सरबराकारो ने अपने निजी लाभ के लिए केवल पूजा व प्रबन्धन के कार्य का दुरूपयोग करते हुये भूमि विक्रय कर दी किन्तु माफीदार की भूमि पर काश्त करने वालो के लिए र्ष 1992 की विज्ञप्ति लागू नही थी क्योकि काबिजदारान काश्तकारो को खातेदारी अधिकार By Opration of Law प्राप्त हुये। विधि की कियान्वती मे दी गयी खातेदारी को राज्य सरकार की जारी विज्ञप्ती 1992 की परिधि मे नही आने से वादग्रस्त जायदाद बाबत तत्कालीन खातेदारो की समाप्ती की गयी खातेदारी अवैध व शून्य है इसलिए वादीगण को पुनः वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 332 रकबे 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि अनुकूल है। वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त जायदाद पर निर्विवाद रूप से काबिज रह जरिये काश्त के कृषि भूमि का उपयोग करते रहे है वादीगण के पूर्वजो के पश्चात वादीगण का वादग्रस्त जायदाद पर साधिकार जरिये काश्त के कब्जा है जिसे किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जा सकता वादीगण को जरिये काश्त के भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार है किसी प्रकार का हस्तक्षेप या कब्जे हटाने का प्रतिवादी न0 2 का प्रयास अनुचित है। प्रतिवादी सख्या दो द्वारा राजस्व अभिलेखो मे वादग्रस्त जायदाद को खातेदारी अधिकारो सम्बन्धी राजस्व अभिलेखो मे बदलाव की कोई जानकारी वादीगण अथवा उनके पूर्वजो को नहीं दी गयी न ही समुचित सुनवायी का अवसर दिया गया सीधे ही प्रतिवादी सख्या 2 एवम उसके अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरिक्षको ने यह परिवर्तन किये। दिनांक 15–2–2013 को वादीगण को यह जानकारी हुयी कि उनके कब्जे वाली भूमि से उनका कब्जा हटाया जा रहा है क्योकि काफी अर्सा पूर्व ही भूमि को प्रतिवादी सख्या एक के नाम पर दर्ज कर दिया गया है तो वादीगण ने राजस्व अभिलेखो का अवलोकन करवाया ओर पिछले रेकार्ड की जांच करवायी तो जानकारी हुयी कि वर्ष 1992 की विज्ञप्ती की कियान्वती मे वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी समाप्त की जाकर भूमि को प्रतिवादी सख्या एक के नाम तत्कालीन समय के अभिलिखित खातेदारो का नाम हटाया जाकर दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रतिवादी सख्या दो को खातेदार के विरूद्व पारित किसी आदेश को लागू करने से पूर्व सुना जाना आवश्यक था। दिनांक 18–2–2013 को प्रथम बार वादीगण से सम्बन्धित उनके पूर्वजो की खातेदारी को समाप्त करने व और निरन्तर उनके वारिसो के नाम पर भूमि दर्ज नही करने की जानकारी होने से बिनायदावा उत्पन्न हो जारी है।

वादीगण अनुतोष चाहते हे कि (अ) लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 332 रकबा 18 बिस्वा से प्रतिवादी सख्या एक की खातेदारी समाप्त की जाकर वादीगण को वादग्रस्त जायदाद का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे। (ब) वादीगण को वादग्रस्त जायदाद पर काश्त करने मे बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। (स) अन्य अनुतोष उचित वादपत्र हो बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता जगदीश धाकड़ को वादमित्र बनाया गया।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से वादमित्र अधिवक्ता जगदीश धाकड़ ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। जवाब के विशेष कथन एवं काउन्टर क्लेम में अंकित किया कि देवता मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होते है इस कारण मन्दिर की भूमि पर उप–कृषक को या काश्त करने वाले को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। वादीगण को दौराने भू–प्रबन्ध अधिकारी ने मन्दिर मूर्ति चारभुजा जी की कृषि भूमि में बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश एवं क्षेत्राधिकार से परे जाकर खातेदारी दिये जाने बाबत् अंकन किया गया जो प्रारम्भ से अवैध व शून्य है। जिससे वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

त्रुटि को राज्य सरकार ने सन् 1992 में विज्ञप्ति जारी कर दुरूस्त कर दिया जो विधि एवं सार है। वादग्रस्त भूमि मन्दिर मूर्ति चारभुजा जी की है जिससे होने वाली पैदावार मूर्ति के राजभोग काम में आती है। वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है। दौराने गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 219 जो मन्दिर मूर्ति प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज थी को नवीन में आराजी नम्बर 332 दर्ज कर वादीगण के पूर्वजों के नाम गलत तरीके से दर्ज करने का आदेश जिसकी जानकारी प्रतिवादी नम्बर 1 को कभी नहीं हो सकी एवं सन् 1992 के राज्य सरकार के द्वारा उसकी दुरूस्ती की गई है। चूंकि दौराने भू–प्रबन्ध उक्त अंकन सेवन से हुआ है। जिसे पुनः दी नम्बर 1 के नाम दर्ज किये जाने हेतु घोषणात्मक डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 जरिये काउन्टर क्लेम करने का अधिकारी है। यद्यपि उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 नाबालिग मन्दिर मूर्ति के दर्ज है। वैकल्पिक रूप से निवेदन है कि राज्य सरकार की विज्ञप्ति व आदेश 1992 के तहत पुनः र मूर्ति के नाम दर्ज किये आदेश को यदि न्यायोचित नहीं भी माना जाता है तो प्रतिवादी नम्बर 1 काउन्टर क्लेम इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने न आराजी नम्बर 332 प्रतिवादी के नाम से हटाकर वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज करने का आदेश वह गलत व शून्य होकर उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व भूमि है।

वादीगण ने वादपत्र के साथ फोटो प्रति मिलान खसरा मौजा लक्ष्मीनिवास, प्रमाणित प्रति नकल ाबन्दी मौजा लक्ष्मीनिवास खाता सं. 137, प्रमाणित प्रति भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग मौजा लक्ष्मीनिवास पेश की जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त वादपत्र में निम्न वाद बिन्दु (तनकीयात) कायम की गयी।

) आया मौजा लक्ष्मीनिवास स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण वादपत्र की चरण सख्या तीन मे दिया गया ह माफीदार चारभुजा मन्दिर की खातेदारी मे दर्ज है जागीरदारी प्रथा समाप्ती के पश्चात वादीगण के पूर्वजो व उनके बाद वादीगण के कब्जे के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पश्चात वादीगण वादग्रस्त खसरा नं0 332 रकबा 18 बिस्वा की खातेदारी पाने के अधिकारी है।

.... वादीगण

(2) आया वादग्रस्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आते ही जागीरदारों एवं माफीदारों की खातेदारी समाप्त कर काबिज वादीगण के पूर्वजो को उनके कब्जे वाली भूमि की खातेदारी दे दी गयी तथा वादी के पूर्वजों को खातेदारी प्राप्त हो गयी तब से उनके नाम दर्ज खाता चली आ रही थी जिसको राज्य सरकार ने वर्ष 1992 में जारी विज्ञप्ति के आधार पर वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी समाप्त कर दी। जबकि काबिज काश्तकार को खातेदार घोषित किया जाना विधि सम्मत हैं।

.... वादीगण

(3) आया वादीगण वादग्रस्त जायदाद पर साधिकार काश्त करते रहने के अधिकारी हो प्रतिवादीगण के विरूद्ध की जाने वाली बेदखली के विरूद्ध निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

.... वादीगण

(4) आया प्रतिवादी सख्या एक शाश्वत स्थाई रूप से अवयस्क होने से उनकी खातेदारी भूमि की अन्य को खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है।

.... प्रतिवादीगण

(5) आया वादग्रस्त जायदाद मन्दिर के रख रखाव व सेवा पूजा मे होने वाले व्यय का स्त्रोत होने से उसे समाप्त करने के लिए अन्य को खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है।

.... प्रतिवादीगण

(6) आया बन्दोबस्ती विभाग द्वारा वादीगण अथवा उनके पूर्वजो को प्रदान की गयी खातेदारी अवैध होने से उसका कोई विधिक प्रभाव नही है। प्रतिवादी न० एक के नाम राज्य सरकार के आदेश से खातेदारी मे दर्ज किया जान वैध है।

.... प्रतिवादीगण

(7) अनुतोष क्या होगा।

पत्रावली में साक्ष्यवादी में PW-1 शंकरलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ उम्र 60 वर्ष पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा का बयान लिया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में और किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादीगण में रखा गया।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 32/2017 (42/2013) दायर तारीख 11.09.2017 (10.08.2013)

अनवान्

1. शंकरलाल पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. छीतरलाल पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. शंकरलाल पुत्र नाथू जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर चारभुजा नाथ ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां नाबालिग मार्फत संरक्षक
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 09/04/2026

डिक्री दिनांक : 09/04/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉं बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 श्री जगदीश धाकड़ को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 332 रकबा 18 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीगण के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादमित्र अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी में ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल बन्दी संवत् 2073–76 प्रतिलिपि पेश की जो प्रदर्श डी 1 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी पेश की जो प्रदर्श–2 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी संवत् 2028–2031 पेश की जो प्रदर्श डी–3 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी संवत् 2045–2048 की फोटो प्रतिलिपि पेश की जो प्रदर्श डी–4 हैं शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 बुद्धि प्रकाश पिता छितरलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी वासी हाल मु. प0ह0 गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 बुद्धि प्रकाश पिता छितरलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी निवासी हाल मु. प0ह0 गोपालपुरा तहसील बिजौलियां ने अपने बयान में लिखाया कि मैं वर्तमान में पटवार हल्का गोपालपुरा में पटवारी के पद पर कार्यरत हूं। वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 अनुसार ग्राम लक्ष्मीनिवास के खाता संख्या 163 पर अंकित आराजी नम्बर 320, 321, 322, 323, 324, 328, 329, 332 कुल किता 8 रकबा 0.73654 हैक्टेयर भूमि श्री चारभुजा जी स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। जिसकी जमाबन्दी ई. हस्ताक्षरित ऑनलाईन जमाबन्दी की प्रति पेश की जो प्रदर्शानुसार हैं। प्रस्तुत रेकॉर्ड में वादीगण का कही पर भी नाम अंकित नहीं हैं। वादगरस्त जमीन श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया। साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज हैं। वादीगण के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से एवं भूमि पर कब्जा वादीगण का नहीं होने से प्रस्तुत वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार** किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 332 रकबा 18 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीगण के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 09/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत .....
हर्जा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की
से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 04 वर्ष 2026 को जारी
हुआ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ